

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

खुले में गंदगी करने पर 15 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें रतलाम 07 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 06 सितम्बर को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर ऋषभ फर्नीचर छत्रीपुल पर 2000₹ अशोक लुनिया जावरा रोड ए मुरारी महु रोड ए भुपेन्द्र ए अमर फर्नीचर ए भुरा छत्रीपुल पर 500.500₹ न्यू स्टील ए अम्बिका टेडर्स छत्रीपुल पर 300.300₹ जितेन्द्र सिंह ए विजय भुट्टा बाजार पर 250.250₹ सक्कबाई जावरा रोड ए संजय ए किशोर ए रमेश ए नितिन पर 50.50 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों ए दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930₹ झोन प्रभारी श्री पर्वत हाडे मो. नं. 7471144931₹ श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932₹ श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145₹ श्री विराट मेहरा 9770326691₹ स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812₹ आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393₹ 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110₹ राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

7 सितम्बर को 73 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा

रतलाम 07 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर

से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 07 सितम्बर मंगलवार को 73 टन कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

07 सितम्बर मंगलवार को डम्पर व टे^aक्टर से 36810ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 19990ए काम्पेक्टर गीला 16265 किलो इस तरह कुल 73065 किलो कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

नो पार्किंग मंे खड़े 4 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना रतलाम 07 सितम्बर । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैंए उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 07 सितम्बर मंगलवार को नो पार्किंग में खड़े 4 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 07 सितम्बर मंगलवार को चांदनी चौकए धानमण्डी व गायत्री टॉकिज क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर आशीष-राजेन्द्र कुमावत सैलाना पर 500ए मुकेश-नारायण शर्मा राजोड़ए अरिहंत-प्रदीप भण्डारी रतलाम व दर्शन-सतीश जैन रतलाम पर 200.200 रूपये का जुर्माना किया गया।

1321 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 07 सितम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी

पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 07 सितम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1321 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 07 सितम्बर को समता परिसर से 1 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 07 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये

10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 07 सितम्बर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 07 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोंए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक

स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 07 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर ए हेलपर ए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर ए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर ए हेलपर ए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी ए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 07 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है।

जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/07ण09ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.